पत्र संख्या–11/वि05–न्याय–09/98 सा0प्र0 12687

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव,बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)।
सदस्य सचिव, पिछड़ें, वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव अति पिछडे वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक– 31–10–17

विषय :– **अन्य पिछड़े वर्गो। (ओ0बी0सी0) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वार्गों (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों का संशोधन ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–154, दिनांक–28.07.2000 द्वारा निदेशित किया जा चुका है कि जब तक क्रीमीलेयर को राज्य सरकार की सेवाओ में आरक्षण की सुविधा से अलग रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये निदेश जारी नहीं किये जाते है,तब तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश का अनुपालन राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के संबंध में किया जायेगा। तद्लोक मे विभागीय पत्रांक–11805, दिनांक–17.07.2013 द्वारा आय/सम्पति का निर्धारण 6 लाख निर्धारित किया गया।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्रांक–36033/1/2013–स्था0 (आरक्षण), दिनांक–13 सितम्बर, 2017 द्वारा आय/सम्पति के निर्धारण को संशोधित करते हुए 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
30/10/17
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER–2

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 13 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को बाहर रखने के लिए आय मापदंड में संशोधन करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की ओर ध्यान आमंत्रित करवाने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक 1 लाख रु. या इससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियां क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण करने की उपरोक्त आय सीमा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था.(आर.) दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था.(आर.) दिनांक 14.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्था.(आर.) दिनांक 27.05.2013 द्वारा क्रमशः 2.5 लाख रु., 4.5 लाख रु. एवं 6 लाख रु. तक बढ़ाई गई थी।

2. अब अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए वार्षिक आय को 6 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची में श्रेणी VI के अधीन शब्दांश "6 लाख रु." के स्थान पर "8 लाख रु." प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 1 सितम्बर, 2017 से लागू होंगे।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएँ।

(देबब्रत दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23040279

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
4. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
5. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री सचिवालय/नीति आयोग ।
6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिलली।
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/ शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिलली-110002
11. महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, 7ई रायसीना रोड़, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन का व्यापक प्रचार करें।
12. एनआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन एंव आदेश→स्थापना(आरक्षण)> अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के 'नया क्या' पर अद्यतन करें।

प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित :

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

(देबब्रत दास)
अवर सचिव, भारत सरकार